

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक: एफ. 3 (ख) (1) अलेसे-11/12350-59 जयपुर, दिनांक :- 12 जुलाई, 2013

आदेश

निम्नांकित लेखाकारों को उनके नाम के समक्ष अंकित कॉलम संख्या 04 में उल्लिखित कार्यालय के लेखाकार पद का अतिरिक्त कार्यभार तुरन्त प्रभाव से प्रदत्त किया जाता है:-

क्र.स.	नाम लेखाकार सर्वश्री	वर्तमान मूल पदस्थापन स्थान	अतिरिक्त कार्यभार हेतु कार्यालय का नाम	विशेष विवरण
1	2	3	4	5
1	सुभाष चन्द शर्मा (6157)	वाणिज्य कर विभाग, सीकर	जिला कलेक्टर, सीकर	
2	रामावतार शर्मा (4901)	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डी. बी. जनरल हॉस्पिटल, चूरु	जिला कलेक्टर, चूरु	

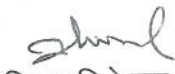
उक्त आदेश सम्बन्धित जिला कलेक्टर द्वारा विशेष मांग किए जाने के कारण राज्यहित में जारी किए गए हैं


निदेशक

क्रमांक: एफ. 3 (ख) (1) अलेसे-11/12350-59 जयपुर, दिनांक :- 12 जुलाई, 2013

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. जिला कलेक्टर, सीकर/चूरु।
3. वाणिज्य कर अधिकारी, सीकर।
4. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, डी.बी. जनरल हॉस्पिटल, चूरु।
5. उपनिदेशक (एसीपी) कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. निजी सहायक निदेशक
7. सर्वश्री सुभाष चन्द शर्मा/रामावतार शर्मा, लेखाकार
8. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।


अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)